



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1995]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 10, 2016/श्रावण 19, 1938

No. 1995]

NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 10, 2016/SRAVANA 19, 1938

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 अगस्त, 2016

का.आ. 2672(अ).—भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 11 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार, भारतीय चिकित्सा परिषद से परामर्श करने के पश्चात् एतद्वारा उक्त अधिनियम की प्रथम अनुसूची में आगे और निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:

(i) निम्नलिखित डिप्लोमेट नेशनल बोर्ड (डीएनबी) व्यापक विशेषज्ञता पाठ्यक्रमों (एमबीबीएस के बाद तीन वर्षीय पाठ्यक्रम) को अंतर्विष्ट किया जाएगा, नामतः-

डिप्लोमेट नेशनल बोर्ड (एनाटॉमी)	यह अगस्त, 1984 में अथवा उसके बाद राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा स्वीकृत किए जाने पर मान्यता प्राप्त चिकित्सा अर्हता होगी।
डिप्लोमेट नेशनल बोर्ड (आपातकालीन मेडिसिन)	यह जून, 2013 में अथवा उसके बाद राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा स्वीकृत किए जाने पर मान्यता प्राप्त चिकित्सा अर्हता होगी।
डिप्लोमेट नेशनल बोर्ड (क्षेत्रीय महामारी विज्ञान)	यह दिसंबर, 2012 में अथवा उसके बाद राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा स्वीकृत किए जाने पर मान्यता प्राप्त चिकित्सा अर्हता होगी।

डिप्लोमेट नेशनल बोर्ड (इम्पूनोहेमेटोलॉजी एवं ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन)	यह दिसंबर, 2008 में अथवा उसके बाद राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा स्वीकृत किए जाने पर मान्यता प्राप्त चिकित्सा अर्हता होगी।
डिप्लोमेट नेशनल बोर्ड (रूरल सर्जरी)	यह दिसंबर, 2009 में अथवा उसके बाद राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा स्वीकृत किए जाने पर मान्यता प्राप्त चिकित्सा अर्हता होगी।

(ii) निम्नलिखित डिप्लोमेट नेशनल बोर्ड (डीएनबी) सुपर स्पेशलिटी पाठ्यक्रमों (एमडी/एमएस स्तर के पश्चात् तीन वर्षीय पाठ्यक्रम) को अंतर्विष्ट किया जाएगा, नामतः:

डिप्लोमेट नेशनल बोर्ड (एंडोक्रिनोलॉजी)	यह फरवरी, 1989 में अथवा उसके बाद राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा स्वीकृत किए जाने पर मान्यता प्राप्त चिकित्सा अर्हता होगी।
डिप्लोमेट नेशनल बोर्ड (हेमेटोलॉजी)	यह दिसंबर, 2010 में अथवा उसके बाद राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा स्वीकृत किए जाने पर मान्यता प्राप्त चिकित्सा अर्हता होगी।
डिप्लोमेट नेशनल बोर्ड (मेडिकल जेनेटिक्स)	यह जनवरी, 2015 में अथवा उसके बाद राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा स्वीकृत किए जाने पर मान्यता प्राप्त चिकित्सा अर्हता होगी।
डिप्लोमेट नेशनल बोर्ड (मेडिकल ऑकोलॉजी)	यह दिसंबर, 2002 में अथवा उसके बाद राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा स्वीकृत किए जाने पर मान्यता प्राप्त चिकित्सा अर्हता होगी।
डिप्लोमेट नेशनल बोर्ड (नीयोनटोलॉजी)	यह जून, 2005 में अथवा उसके बाद राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा स्वीकृत किए जाने पर मान्यता प्राप्त चिकित्सा अर्हता होगी।
डिप्लोमेट नेशनल बोर्ड (पेरिफेरल वास्कुलर सर्जरी)	यह दिसंबर, 2009 में अथवा उसके बाद राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा स्वीकृत किए जाने पर मान्यता प्राप्त चिकित्सा अर्हता होगी।
डिप्लोमेट नेशनल बोर्ड (ह्यूमेटोलॉजी)	यह दिसंबर, 2008 में अथवा उसके बाद राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा स्वीकृत किए जाने पर मान्यता प्राप्त चिकित्सा अर्हता होगी।
डिप्लोमेट नेशनल बोर्ड (सर्जिकल गैसट्रोएंटेरोलॉजी)	यह जनवरी, 2002 में अथवा उसके बाद राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा स्वीकृत किए जाने पर मान्यता प्राप्त चिकित्सा अर्हता होगी।
डिप्लोमेट नेशनल बोर्ड (सर्जिकल ऑकोलॉजी)	यह दिसंबर, 2006 में अथवा उसके बाद राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा स्वीकृत किए जाने पर मान्यता प्राप्त चिकित्सा अर्हता होगी।
डिप्लोमेट नेशनल बोर्ड (थोरेसिस सर्जरी)	यह जनवरी, 2014 में अथवा उसके बाद राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड नई दिल्ली द्वारा स्वीकृत किए जाने पर मान्यता प्राप्त चिकित्सा अर्हता होगी।

(iii) निम्नलिखित फेलोशिप नेशनल बोर्ड (एफएनबी) पाठ्यक्रमों (एमडी/एमएस स्तर के पश्चात् दो वर्षीय पाठ्यक्रम) को अंतर्विष्ट किया जाएगा, नामतः:

फेलोशिप नेशनल बोर्ड (क्रिटिकल केयर मेडिसिन)	यह मार्च, 2001 में अथवा उसके बाद राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड नई दिल्ली द्वारा स्वीकृत किए जाने पर मान्यता प्राप्त चिकित्सा अर्हता होगी।
फेलोशिप नेशनल बोर्ड (कार्डियक एनेस्थेसिया)	यह जनवरी, 2001 में अथवा उसके बाद राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड नई दिल्ली द्वारा स्वीकृत किए जाने पर मान्यता प्राप्त चिकित्सा अर्हता होगी।
फेलोशिप नेशनल बोर्ड (हैंड एंड माइक्रो सर्जरी)	यह फरवरी, 2002 में अथवा उसके बाद राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड नई दिल्ली द्वारा स्वीकृत किए जाने पर मान्यता प्राप्त चिकित्सा अर्हता होगी।
फेलोशिप नेशनल बोर्ड (हाई रिस्क प्रेगनेंसी एंड पेरिनेटोलॉजी)	यह जनवरी, 2001 में अथवा उसके बाद राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड नई दिल्ली द्वारा स्वीकृत किए जाने पर मान्यता प्राप्त चिकित्सा अर्हता होगी।
फेलोशिप नेशनल बोर्ड (इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी)	यह फरवरी, 2002 में अथवा उसके बाद राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड नई दिल्ली द्वारा स्वीकृत किए जाने पर मान्यता प्राप्त चिकित्सा अर्हता होगी।
फेलोशिप नेशनल बोर्ड (इंफेक्टियस डिसिज)	यह फरवरी, 2008 में अथवा उसके बाद राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड नई दिल्ली द्वारा स्वीकृत किए जाने पर मान्यता प्राप्त चिकित्सा अर्हता होगी।
फेलोशिप नेशनल बोर्ड (लेबोरेट्री मेडिसिन)	यह दिसंबर, 2006 में अथवा उसके बाद राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड नई दिल्ली द्वारा स्वीकृत किए जाने पर मान्यता प्राप्त चिकित्सा अर्हता होगी।
फेलोशिप नेशनल बोर्ड (मिनिमल एसीज सर्जरी)	यह दिसंबर, 2000 में अथवा उसके बाद राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड नई दिल्ली द्वारा स्वीकृत किए जाने पर मान्यता प्राप्त चिकित्सा अर्हता होगी।
फेलोशिप नेशनल बोर्ड (पेडियाट्रिक हेमेटो ओंकोलॉजी)	यह दिसंबर, 2006 में अथवा उसके बाद राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड नई दिल्ली द्वारा स्वीकृत किए जाने पर मान्यता प्राप्त चिकित्सा अर्हता होगी।
फेलोशिप नेशनल बोर्ड (पेडियाट्रिक कार्डियोलॉजी)	यह मार्च, 2001 में अथवा उसके बाद राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड नई दिल्ली द्वारा स्वीकृत किए जाने पर मान्यता प्राप्त चिकित्सा अर्हता होगी।
फेलोशिप नेशनल बोर्ड (पेडियाट्रिक इंटेनसिव केयर)	यह दिसंबर, 2006 में अथवा उसके बाद राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड नई दिल्ली द्वारा स्वीकृत किए जाने पर मान्यता प्राप्त चिकित्सा अर्हता होगी।
फेलोशिप नेशनल बोर्ड (रिप्रोडक्टिव मेडिसिन)	यह मई, 2003 में अथवा उसके बाद राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड नई दिल्ली द्वारा स्वीकृत किए जाने पर मान्यता प्राप्त चिकित्सा अर्हता होगी।
फेलोशिप नेशनल बोर्ड (स्पाइन सर्जरी)	यह फरवरी, 2001 में अथवा उसके बाद राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड नई दिल्ली द्वारा स्वीकृत किए जाने पर मान्यता प्राप्त चिकित्सा अर्हता होगी।
फेलोशिप नेशनल बोर्ड (ट्रॉमा केयर)	यह मई, 2001 में अथवा उसके बाद राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड नई दिल्ली द्वारा स्वीकृत किए जाने पर मान्यता प्राप्त चिकित्सा अर्हता होगी।
फेलोशिप नेशनल बोर्ड (वाइट्रो रेटिनल सर्जरी)	यह मार्च, 2001 में अथवा उसके बाद राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड नई दिल्ली द्वारा स्वीकृत किए जाने पर मान्यता प्राप्त चिकित्सा अर्हता होगी।

	किए जाने पर मान्यता प्राप्त चिकित्सा अर्हता होंगी।
फेलोशिप नेशनल बोर्ड (पेडियाट्रिक गैसट्रोएंटेरियोलॉजी)	यह जनवरी, 2014 में अथवा उसके बाद राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड नई दिल्ली द्वारा स्वीकृत किए जाने पर मान्यता प्राप्त चिकित्सा अर्हता होंगी।
फेलोशिप नेशनल बोर्ड (स्पोर्ट्स मेडिसिन)	यह जनवरी, 2014 में अथवा उसके बाद राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड नई दिल्ली द्वारा स्वीकृत किए जाने पर मान्यता प्राप्त चिकित्सा अर्हता होंगी।

नोट: - एफएनबी अर्हताओं को शिक्षण संकाय के उद्देश्य हेतु मान्यता प्राप्त चिकित्सा अर्हता नहीं माना जाएगा।

[सं. वी.11025/19/2014-एमईपी]

अली आर. रिजवी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health and Family Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd August, 2016

S.O. 2672(E).—In exercise of the power conferred by sub-section (2) of section 11 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956), the Central Government after consulting the Medical Council of India, hereby makes the following further amendments in the First Schedule of the Act, namely;

(i) The following Diplomate National Board (DNB), Broad Specialty Courses (three years courses at the Post MBBS level) shall be inserted, namely

Diplomate National Board (Anatomy)	This shall be recognised medical qualification when granted by National Board of Examinations, New Delhi on or after August 1984.
Diplomate National Board (Emergency Medicine)	This shall be recognised medical qualification when granted by National Board of Examinations, New Delhi on or after June 2013.
Diplomate National Board (Field Epidemiology)	This shall be recognised medical qualification when granted by National Board of Examinations, New Delhi on or after December 2012.
Diplomate National Board (Immunohematology & Transfusion Medicine)	This shall be recognised medical qualification when granted by National Board of Examinations, New Delhi on or after December 2008.
Diplomate National Board (Rural Surgery)	This shall be recognised medical qualification when granted by National Board of Examinations, New Delhi on or after December 2009.

(ii) The following Diplomate National Board (DNB), Super Specialty Courses (three years courses at the Post MD/MS level) shall be inserted, namely

Diplomate National Board (Endocrinology)	This shall be recognised medical qualification when granted by National Board of Examinations, New Delhi on or after February 1989.
--	---

Diplomate National Board (Hematology)	This shall be recognised medical qualification when granted by National Board of Examinations, New Delhi on or after December 2010.
Diplomate National Board (Medical Genetics)	This shall be recognised medical qualification when granted by National Board of Examinations, New Delhi on or after January 2015.
Diplomate National Board (Medical Oncology)	This shall be recognised medical qualification when granted by National Board of Examinations, New Delhi on or after December 2002.
Diplomate National Board (Neonatology)	This shall be recognised medical qualification when granted by National Board of Examinations, New Delhi on or after June 2005.
Diplomate National Board (Peripheral Vascular Surgery)	This shall be recognised medical qualification when granted by National Board of Examinations, New Delhi on or after December 2009.
Diplomate National Board (Rheumatology)	This shall be recognised medical qualification when granted by National Board of Examinations, New Delhi on or after December 2008.
Diplomate National Board (Surgical Gastroenterology)	This shall be recognised medical qualification when granted by National Board of Examinations, New Delhi on or after January 2002.
Diplomate National Board (Surgical Oncology)	This shall be recognised medical qualification when granted by National Board of Examinations, New Delhi on or after December 2006.
Diplomate National Board (Thoracic Surgery)	This shall be recognised medical qualification when granted by National Board of Examinations, New Delhi on or after January 2014.

(iii) The following Fellowship National Board (FNB), Courses (two years courses at the Post MD/MS level) shall be inserted, namely

Fellowship National Board (Critical Care Medicine)	This shall be recognised medical qualification when granted by National Board of Examinations, New Delhi on or after March 2001.
Fellowship National Board (Cardiac Anaesthesia)	This shall be recognised medical qualification when granted by National Board of Examinations, New Delhi on or after January 2001.
Fellowship National Board (Hand & Micro Surgery)	This shall be recognised medical qualification when granted by National Board of Examinations, New Delhi on or after February 2002.
Fellowship National Board (High risk Pregnancy & Perinatology)	This shall be recognised medical qualification when granted by National Board of Examinations, New Delhi on or after January 2001.
Fellowship National Board (Interventional Cardiology)	This shall be recognised medical qualification when granted by National Board of Examinations, New Delhi on or after February 2002.
Fellowship National Board (Infectious Disease)	This shall be recognised medical qualification when granted by National Board of Examinations, New Delhi on or after February 2008.
Fellowship National Board (Laboratory Medicine)	This shall be recognised medical qualification when

	granted by National Board of Examinations, New Delhi on or after December 2006.
Fellowship National Board (Minimal Access Surgery)	This shall be recognised medical qualification when granted by National Board of Examinations, New Delhi on or after December 2000.
Fellowship National Board (Pediatric Hemato Oncology)	This shall be recognised medical qualification when granted by National Board of Examinations, New Delhi on or after December 2006.
Fellowship National Board (Pediatric Cardiology)	This shall be recognised medical qualification when granted by National Board of Examinations, New Delhi on or after March 2001.
Fellowship National Board (Pediatric Intensive Care)	This shall be recognised medical qualification when granted by National Board of Examinations, New Delhi on or after December 2006.
Fellowship National Board (Reproductive Medicine)	This shall be recognised medical qualification when granted by National Board of Examinations, New Delhi on or after May 2003.
Fellowship National Board (Spine Surgery)	This shall be recognised medical qualification when granted by National Board of Examinations, New Delhi on or after February 2001.
Fellowship National Board (Trauma Care)	This shall be recognised medical qualification when granted by National Board of Examinations, New Delhi on or after May 2001.
Fellowship National Board (Vitreous Retinal Surgery)	This shall be recognised medical qualification when granted by National Board of Examinations, New Delhi on or after March 2001.
Fellowship National Board (Paediatric Gastroenterology)	This shall be recognised medical qualification when granted by National Board of Examinations, New Delhi on or after January 2014.
Fellowship National Board (Sports Medicine)	This shall be recognised medical qualification when granted by National Board of Examinations, New Delhi on or after January 2014.

Note: - The FNB qualifications shall not be treated as a recognised medical qualification for the purpose of teaching faculty.

[No. V.11025/19/2014-MEP]

ALI R. RIZVI, Jt. Secy.